सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स०	''संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और हिन्दी की उत्पत्ति भी इससे हुई है । बहुत से प्राचीन ग्रंथ इसमें लिखे गये हैं, जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं । अपने प्रदेश बिहार में अब बच्चों / छात्रों की रूचि इस भाषा में कम महसूस हो रही है और इस भाषा के संरक्षण, संवर्द्धन और शोध के लिए यहाँ कोई शोध संस्थान नहीं है । हमें अपनी सांस्कृतिक और भाषायी विरासत को संरक्षित रखना है । अत: प्राचीनतम देव भाषा संस्कृत के संरक्षण, संवर्द्धन और नई पीढ़ियों में इसकी जानकारी प्रचारित करने के लिये राज्य में संस्कृत शोध संस्थान की स्थापना हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	शिक्षा

2.* श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०	"केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । वित्तीय साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा सर्वेक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय सर्वेक्षण या शौचालय निर्माण से संबंधित सभी में 1.35 लाख कैडरों और 10.65 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1.20 करोड़ जीविका दीदियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है । अतः इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्तिपत्र व पहचानपत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18000, संकुल स्तर पर 15000, ग्राम संगठन स्तर पर 13000 व स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12000 रूपये प्रतिमाह मानदेय देने तथा पाँच साल पुराने सभी जीविका दीदियों को कर माफ करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ ।"	ग्रामीण विकास

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/2024- 431 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/2024- 431 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/2024- 431 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/2024- 431 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।